



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 08/2025/D-80

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 264917 दिनांक 03/11/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Change in Land Use (Residential to Commercial) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Rajendra Singh Choudhary S/o RAMSWARO OP CHOUDHARY	श्री राजेन्द्र सिंह चौधरी पुत्र श्री रामस्वरूप चौधरी	44,45,46	613.03 SQ. METER	Private	CHOUDHARY BALU RAM NAGAR Sector/Block-	Change in Land Use (Residential to Commercial)	आवेदक श्री राजेन्द्र सिंह चौधरी पुत्र श्री रामस्वरूप चौधरी द्वारा निजी खातेदारी की योजना चौधरी बालू राम नगर के पुनर्गठित आवासीय भूखण्ड संख्या 44, 45, 46 का आवासीय से व्यावसायिक भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। भूखण्ड संख्या 44, 45, 46 का फ्री होल्ड पट्टा श्री राजेन्द्र सिंह चौधरी पुत्र श्री रामस्वरूप चौधरी के पक्ष में जारी किया गया था। भूखण्ड संख्या 44, 45, 46 कुल क्षेत्रफल 613.03 वर्गमीटर का पुनर्गठन पत्र दिनांक 15.10.2025 के द्वारा आवेदक के पक्ष में जारी किया गया है।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Change in Land Use (Residential to Commercial) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 15 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Rajendra Singh Choudhary S/o RAMSWAROOP CHOUDHARY को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।